राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक– 06.11.2020

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में किसी भी सूचना संप्रेषण अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा एवं आवेदन पत्र में अंकित पते पर पत्र द्वारा प्रेषित की जाती है । अतः अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये मोबाईल नम्बर के किसी कारणवश बंद हो जाने/नम्बर बदले जाने तथा स्वंय के स्थाई/पत्राचार के पते में परितर्वन हो जाने पर अभ्यर्थियों को वांछित सूचना एस.एम.एस. अथवा पत्र द्वारा मिलना संभव नही होती है । अतः अभ्यर्थियों की सुविधार्थ प्रकरण में गहनता से विचार विमर्श कर माननीय सम्पूर्ण आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने पते एवं मोबाईल नम्बर अद्यतन (अपडेट) करने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव